न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 31 / 2022 **GCMS 2022/53**

वादीगण

1. हेमाराम पुत्र पनालाल जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुाचमनसिटी (भूमिधारी)
2. सुण्डा पुत्र बेगा कुम्हार निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

दावा– इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 14.06.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर. खसरा नम्बर 2559 / 183 रकबा 0.09 हैक्टर गत खसरा नम्बर 59 रकबा 0.09 हैक्टर स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि गत खसरा नम्बर 59 की भूमि जागीरदारी की भूमि को हासल पर स्व. बालूराम जी ने ले रखी है जिसका लगान जागीरदार को अदा करते आ रहे थे व जागीरदारी प्रथा समाप्त होने पर सीधा लगान सरकार को जमा कराते आ रहे थे जिस पर ढ़ाणी बांधकर निवास करते आ रहे थे, कस्बा कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 59 रकबा 0.09 हैक्टर जो कि स्व. बालूराम के कब्जा काश्त अधिकारों की चली आ रही है जिसका गिरदावरी सम्वत 2020 में कब्जा काश्त स्व. बालूराम जी की दर्ज आ रही है जो बतौर सबूत पेश है, उपरोक्त भूमि स्व. बालूराम जी के कब्जा काश्त व अधिकार में चली आ रही थी उनके जीवनकाल में ही उक्त भूमि पनालाल के बंट में आ गई, पनालाल ने उक्त भूमि वादी हेमाराम के बंट में व भाई बंटवारा में वादी को दी गइ जो कि पिछले 40–45 वर्षो से वादी के हक–हिस्से में व कब्जा आधिपत्य की चली आ रही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है, उक्त भूमि पर वादी का कब्जा अधिकार चला आ रहा है जिसका खतौनी में इन्द्राज प्रतिवादी सं. 2 के नाम से आ गया जबकि उक्त व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त अधिकार नही रहा है, उक्त भूमि में वक्त जागीर से स्व. बालूराम जी काबिज चले आ रहे थे उनके स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारी पनालाल काबिज होकर सीधा लगान राज्य सरकार में अदा करते रहे, परन्तु खातेदारी में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता काबिज चले आ रहे थे जिसका खातेदारी में नाम दर्ज होने से छूटता गया, उक्त भाई बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादी घर बनाकर निवास करता आ रहा है, जिसका बिजली व नल पानी का कनेक्शन मुझ वादी के नाम से जारी किया गया है जिस पर निवास करते आ रहे है, उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमियों में शामलाती दर्ज होती गई केवल एक मात्र खसरा नम्बर 2559 / 183 की भूमि में खातेदारी में प्रतिवादी सं. 2 दर्ज हो गया जो कि गलत है क्योंकि यह भूमि पैतृक भूमि है जो कि भाई बंटवारा में 40–45 वर्षो पहले वादी को दी गई जिस पर वादी काबिज़ होकर निवास स्थान बनाकर निवास करता आ रहा है, उक्त भूमि पैतृक भूमि को वादी अपने नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है इसलिए यह खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2559 / 183 रकबा 0.09 हैक्टर का वादी काबिज खातेदार चला आ रहा है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें व प्रतिवादी सं. 2 सुण्डाराम का नाम हटाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई, प्रतिवादी सं. 1 बावजूद इतला अनुपस्थित , जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 की तलबी वकील वादी के निवेदन पर जरिये अखबार स्याहा करवाई गई। प्रतिवादी सं. 2 के अनुपस्थित रहने पर एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने हेमाराम पुत्र पनाराम कुमावत कुचामन के विद्युत कनेक्शन 110361035804 की प्रति, नक्शा ट्रेस गत एवं चालू की नकल, मिलान क्षेत्रफल की नकल, पानी कनेक्शन बिल मार्च 2003, 2006, 2014 की प्रति, मिसल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बन्दोबस्त नकल सम्वत 2008 से 2027 की नकल, 2054–2057, जमाबंदी नकल सम्वत 2070–2073 की नकल, गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2017, 2018–2021 की प्रस्तुत की है।

मौखिक साक्ष्य में वादी का शपथ–पत्र, गवाह रूपाराम सरदारराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उपरोक्त भूमि दर्ज किये जाने बाबत तथा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2088 से 2027 अनुसार ग्राम कुचामन के खसरा नम्बर 59 रकबा 11 बिस्वा गै.मु.ढ़ाणी कॉलम सं. 3 में राजा हरिसिंह वल्द .... कौम राजपूत सा. देह जागीरदार कॉलम सं. 4 में मदनगोपाल लिछमी नारायण पि. हनुमानबक्स कौम महाजन सा. देह पसायेदार मा. सुडीयां वल्द बेणा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार अंकित है, गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2017 में खसरा नम्बर 59 रकबा 11 बिस्वा ढ़ाणी में ठि. कुचामन तथा कॉलम सं. 6 में मदन गोपाल वगैरह पसायेदार ब.न. 60 सुण्डिया वल्द वीणा कौम कुम्हार सा. देह खातेदार प.ज. तथा सम्वत 2020 में बालू पुत्र रामू कुम्हार अंकित है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम कुचामन के गत खसरा नम्बर 59 रकबा 0.09 हैक्टर के नये नम्बर 2559/183 रकबा 0.09 हैक्टर अंकित हुये, जमाबंदी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2559/183 रकबा 0.09 हैक्टर चाही प्रथम सूण्डा पुत्र बेणा जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2070–73 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.06 गै.मु.ढ़ाणी खसरा नम्बर 2558/183 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.16 हैक्टर में पन्ना लादु औंकार हणमान पि. बालू कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2054–2057 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 182 रकबा 0.02 गै.मु.कुआ खसरा नम्बर 183 रकबा 4.39 हैक्टर कुल रकबा 4.42 हैक्टर में पन्ना लादू औंकार हणमान पि. बाल जाति कुम्हार सा. देह 1/2 गोरधन पुत्र काना हि.1/4 दुला पुत्र हीरा लिछमण पुत्र गोरधन हि. 1/4 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार नामा. 878 दिनॉक

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16.09.98 के द्वारा लिछमण पुत्र गोरधन के फौत होने पर उसके स्थान पर मांगीलाल भंवरलाल पि. लिछमण नारायणी देवी बैवा लिछमण जाति कुम्हार के नाम खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा, नामा. सं. 926 दि. 16.12.98 के द्वारा गोरधन पुत्र काना हि. 1/4 के फौत होने पर विरासत से उसके वारिस धन्नाराम भोमाराम पि. गोरधन (बहन रूपादेवी के हिस्से सहित) व मांगीलाल भंवरलाल पि. लिछमणराम नारायणीदेवी बैवा लिछमणराम हि. 1/4 की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा। जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2559/183 रकबा 0.09 हैक्टर चाही प्रथम सूण्डा पुत्र बेगा हि. पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। विद्युत एवं पानी के बिल जो काफी वर्षो पुराने है वह वादी के नाम चले आ रहे है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वज का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा बंटवारे में वादी के हक हिस्से में भूमि आई हुई है केवल मात्र प्रतिवादी सं. 2 का गलत रूप से नाम दर्ज हुआ है जिसका आज दिन तक क़िसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है मौके पर वादी के रहवासीय मकानात बने हुये है तथा परिवार सहित निवास करता आ रहा है, प्रस्तुत गिरदावरी नकलो से साफ जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में रामू पुत्र बालू के नाम की प्रविष्टि दर्ज चली आ रही है तथा गत खसरा नम्बर 59 के नये खसरा नम्बर 2559/183 में वादी के पूर्वज पन्नालाल एवं बालू के कब्जे काश्त में भूमि चली आई है तथा खसरा नम्बर 183 रकबा 4.39 हैक्टर चली आई तत्पश्चात भूमि का बंटवारा होकर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज चली आ रही है। मौखिक साक्ष्य अनुसार उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी मकान बने है तथा मौके पर काबिज है उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड, गिरदावरी इत्यादि, विद्युत कनेक्शन, पानी के बिलो से साबित होती है। इस प्रकार वाद काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2559/183 रकबा 0.09 हैक्टर चाही प्रथम में वादी हेमाराम पुत्र पनालाल कुमावत

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सुण्डा पुत्र बेगा कुम्हार कुचामनसिटी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 14.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास :– **बाबुलाल जाट** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 31/2022 **GCMS 2022/53**

1. हेमाराम पुत्र पनालाल जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुाचमनसिटी (भूमिधारी)
2. सुण्डा पुत्र बेगा कुम्हार निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

दावा– इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2559/183 रकबा 0.09 हैक्टर चाही प्रथम में वादी हेमाराम पुत्र पनालाल कुमावत कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सुण्डा पुत्र बेगा कुम्हार कुचामनसिटी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 06 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी.....
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)..

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।